भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 637
दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल उपचार और विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना

637. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार स्थान सहित कितने जल उपचार और विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) इन संयंत्रों की स्थापना में जल उपचार और विलवणीकरण संयंत्रों की लागत का ब्यौरा तथा उपचारित ताजे जल और विलवणीकरण किए गए जल की प्रति लीटर लागत सहित कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार उच्च जल संकट वाले क्षेत्रों के ब्यौरे सहित उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने जल उपचार और विलवणीकरण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास के लिए कोई धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है तथा इन निवेशों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है। पेयजल राज्य सूची का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। विलवणीकरण

के उपयोग सहित, परिवारों को पीने योग्य जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी, के चयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं।

मार्च, 2023 में पेयजल शोधन प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका जारी की गई थी ताकि सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई तकनीकों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सके ताकि स्थानीय मुद्दों और जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली तकनीकों का उपयोग करके पेयजल शोधन संयंत्रों के कार्य-निष्पादन और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित जल का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2019-20 से 2024-25 (दिनांक 03.02.2025 की स्थिति के अनुसार) में जेजेएम के तहत आबंटित केन्द्रीय निधि, आहरित निधि तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित उपयोग का ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक कुल 35,699 जल शोधन संयंत्रों की सूचना दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नवीन प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच के लिए डीडीडब्ल्यूएस द्वारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया था। तकनीकी समिति ने आठ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएमटी), और जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम) जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा की जाती हैं। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**व्यय**
2019-20	2.94 लाख रुपये
2020-21	25.17 लाख रुपये
2021-22	176.29 लाख रुपये
2022-23	110.18 लाख रुपये
2023-24	171.90 लाख रुपये

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, बजट आवंटन 5 करोड़ रुपये है और किया गया व्यय 15.36 लाख रुपये है।

अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम:

निम्नलिखित का विकास/अध्ययन:-

- अपशिष्ट जल शोधन और पानी के पुन: उपयोग हेतु रिकवरी सिस्टम के लिए माइक्रोफ्लुइडिक बोतल कैप;
- उपचारात्मक सामुदायिक कुआं पानी एक उभरते और अंतःस्रावी विघटनकारी सूक्ष्म प्रदूषक पर्क्लोरेट से दूषित;
- उपयोग के बिंदु और कोलीफॉर्म का पता लगाने के लिए लाइन में जल गुणवत्ता सेंसर;
- जल संचयन के लिए परित्यक्त खदानों की पर्यावरणीय बहाली;
- झारखंड और ओडिशा के लौह संदूषित क्षेत्रों में टेराफिल जल निस्पंदन प्रणाली का कार्यान्वयन; और
- सतही जल निकायों में कीटनाशक अवशेषों के शोधन के लिए प्रोटोटाइप विकास।

*****

दिनांक 06/02/2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

जल जीवन मिशन: 2019-20 से 2024-25 में आवंटन, रिलीज, व्यय (03.02.2025) (करोड़ रुपए में)

वर्ष	अथ शेष	केंद्रीय	केंद्रीय शेयर मार्च माह तक जारी	माह मार्च तक व्यय जारी				बैंक ब्याज	अन्य जमा/वसूलियां	खर्च न की गई राशि
	(केंद्रीय हिस्सा)	आवंटन		कुल	केंद्रीय	% में व्यय	राज्य			(केंद्रीय हिस्सा)
2019-20	2436.37	11139.21	9951.81	10074.28	5983.49	48.14	4090.79	40.73	1.95	6447.37
2020-21	6447.36	23033.02	10917.86	20449.96	12544.51	72.22	7905.45	5.23	0	4825.94
2021-22	4825.92	92308.77	40009.77	43551.85	25325.67	56.49	18226.18	0.01	0	19510.03
2022-23	19510.05	100789.77	54742.3	90795.87	50663.23	68.23	40132.64	0	0	23589.14
2023-24	23589.16	132936.83	69885.01	151386.94	82262.1	88.01	69124.84	0	0	11212.07
2024-25	11,180.11	69,926.68	21,918.94	53,865.56	26,532.30	80.16	27,333.26	0	0	6,566.75

अनुबंध-II

दिनांक 06/02/2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

जल उपचार संयंत्र का विवरण

(03.02.2025 तक की स्थिति)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-
2	आंध्र प्रदेश	277
3	अरुणाचल प्रदेश	3,311
4	असम	17,582
5	बिहार	-
6	छत्तीसगढ़	68
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	-
8	गोवा	12
9	गुजरात	209
10	हरियाणा	1,059
11	हिमाचल प्रदेश	660
12	जम्मू एवं कश्मीर	1,314
13	झारखंड	348
14	कर्नाटक	2,219
15	केरल	522
16	लद्दाख	-
17	लक्षद्वीप	2
18	मध्य प्रदेश	416
19	महाराष्ट्र	907
20	मणिपुर	444
21	मेघालय	1,456
22	मिजोरम	295
23	नागालैंड	635
24	ओडिशा	108
25	पुदुचेरी	-
26	पंजाब	763
27	राजस्थान	547
28	सिक्किम	135
29	तमिलनाडु	252
30	तेलंगाना	-
31	त्रिपुरा	445
32	उत्तर प्रदेश	639
33	उत्तराखंड	531
34	पश्चिम बंगाल	543
कुल		**35,699**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

***